संख्या-75/2024/आई/508690/23-1-24/001-23-1002(002)/47/2024पार्ट-2

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ :दिनांक 29 फरवरी, 2024

विषय- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत जनपद सीतापुर के कुल 16 मार्गों के नवनिर्माण कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार **जनपद सीतापुर के कुल 16 मार्गों के नवनिर्माण कार्यों हेतु कुल लागत रू0 26,21,95,000/- (रूपये छब्बीस करोड़ इक्कीस लाख पन्चानबे हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-5054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से कुल **रू0 5,24,39,000/- (रूपये पॉच करोड़ चौबीस लाख उन्तालीस हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र सं	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र संख्या व दिनांक	खण्ड/ जनपद	कार्य का नाम	कुल लम्बाई (कि0मी0 में)	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	375/(54-IX)/समग्र वृत्त/2023-24, दिनांक 17.02.2024	नि0खं0-4/ सीतापुर	राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत बसारा सम्पर्क मार्ग से हाजीपुर तक मार्ग के मध्य छूटी कड़ी का नवनिर्माण कार्य।	2.150	182.51	36.50
2	375/(54-IX)/समग्र वृत्त/2023-24, दिनांक 17.02.2024	नि0खं0-4/ सीतापुर	राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत बसारा सम्पर्क मार्ग से रमुवापुर सम्पर्क मार्ग (स्व0 सतदास आश्रम तक) के मध्य छूटी कड़ी का नवनिर्माण कार्य।	0.620	64.08	12.82
3	375/(54-IX)/समग्र वृत्त/2023-24, दिनांक 17.02.2024	नि0खं0-4/ सीतापुर	राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत महोली बाईपास से नरनी कठिघरा के मध्य छूटी कड़ी का नवनिर्माण कार्य।	3.130	309.36	61.87
4	375/(54-IX)/समग्र वृत्त/2023-24, दिनांक 17.02.2024	नि0खं0-4/ सीतापुर	राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत सीतापुर मुंशीगंज बड़ागांव मार्ग से हाजीपुर द्वितीय संपर्क मार्ग के मध्य छूटी कड़ी का नवनिर्माण कार्य।	0.930	84.03	16.81

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र सं	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र संख्या व दिनांक	खण्ड/ जनपद	कार्य का नाम	कुल लम्बाई (कि0मी0 में)	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
5	375/(54-IX)/समग्र वृत्त/2023-24, दिनांक 17.02.2024	नि0खं0-4/ सीतापुर	ब्लाक पिसावां में ग्राम कमालुद्दीनपुर से मडिया आश्रम के मध्य छूटी कडी का नवनिर्माण का कार्य।	2.000	143.22	28.64
6	375/(54-IX)/समग्र वृत्त/2023-24, दिनांक 17.02.2024	नि0खं0-4/ सीतापुर	ग्राम गुरसण्डा मार्ग से करमलकुईया के मध्य छूटी कडी का नवनिर्माण का कार्य।	2.150	163.56	32.71
7	375/(54-IX)/समग्र वृत्त/2023-24, दिनांक 17.02.2024	नि0खं0-4/ सीतापुर	गोपामऊ पिसावां मार्ग से दौलतियापुर मार्ग होकर बक्सापुर मार्ग तक छूटी कडी का नवनिर्माण का कार्य।	3.000	284.84	56.97
8	375/(54-IX)/समग्र वृत्त/2023-24, दिनांक 17.02.2024	नि0खं0-4/ सीतापुर	गोपामऊ से ब्रम्हौला से माथन ब्रम्हौला मार्ग के मध्य आबादी भाग में सी0सी0 का कार्य।	0.300	32.79	6.56
9	375/(54-IX)/समग्र वृत्त/2023-24, दिनांक 17.02.2024	नि0खं0-4/ सीतापुर	मिश्रिख कुतुबगनर (एस0एच0-139) मार्ग वाया मोहम्मदपुर (यामलपुर सोमलिया) रन्नूपुर तक मार्ग के मध्य छूटी कडी का नवनिर्माण का कार्य।	3.000	222.61	44.52
10	375/(54-IX)/समग्र वृत्त/2023-24, दिनांक 17.02.2024	नि0खं0-4/ सीतापुर	सीतापुर कस्ता गोला मार्ग से जगना सम्पर्क मार्ग के बीच छूटी कडी वाया सहादतनगर का नवनिर्माण का कार्य।	1.790	186.57	37.31
11	375/(54-IX)/समग्र वृत्त/2023-24, दिनांक 17.02.2024	नि0खं0-4/ सीतापुर	इमलिया सुल्तानपुर मार्ग से बसेती तक छूटी कडी का नवनिर्माण का कार्य।	2.150	153.50	30.70
12	375/(54-IX)/समग्र वृत्त/2023-24, दिनांक 17.02.2024	नि0खं0-4/ सीतापुर	राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत गदनापुर मलिहाबाद मार्ग से चन्द्रिकापुरवा के मध्य छूटी कडी का नवनिर्माण का कार्य।	1.210	87.19	17.44
13	375/(54-IX)/समग्र वृत्त/2023-24, दिनांक 17.02.2024	नि0खं0-4/ सीतापुर	राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत हरगांव दतेली मार्ग से लखीमपुर खीरी मार्ग के मध्य वेलीधारा (नहर पटरी) होते हुए छूटी कडी का नवनिर्माण का कार्य।	0.940	90.10	18.02
14	375/(54-IX)/समग्र वृत्त/2023-24, दिनांक 17.02.2024	नि0खं0-4/ सीतापुर	राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत बरियाडीह सलारपुर सम्पर्क मार्ग से सीतारामपुरवा नान्हूपुरवा होते हुए कटियारा ओयल संपर्क मार्ग के मध्य छूटी कडी का नवनिर्माण का कार्य।	2.000	192.34	38.47
15	375/(54-IX)/समग्र वृत्त/2023-24, दिनांक 17.02.2024	नि0खं0-4/ सीतापुर	राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत हरगांव देतेली पिपरझला मार्ग से हथूरी सम्पर्क मार्ग से सिकटिहा होते हुए यादवपुर के मध्य छूटी कडी का नवनिर्माण का कार्य।	2.530	253.91	50.78
16	375/(54-IX)/समग्र वृत्त/2023-24, दिनांक 17.02.2024	नि0खं0-4/ सीतापुर	राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत ग्राम मुमताजपुर से मातिनपुर के मध्य छूटी कडी का नवनिर्माण का कार्य।	1.890	171.34	34.27
				कुल योग-	**2621.95**	**524.39**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) प्रश्नगत कार्य की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त करते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) प्रश्नगत कार्य को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।

(3) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के संशोधित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-74(4)/75, दिनांक 11.11.14 द्वारा जारी संशोधित/परिवर्तित व्यवस्था के अनुसार राजकीय विभागों द्वारा कैश क्रेडिट लिमिट(सी0सी0एल0) प्रणाली व डिपार्टमेंट क्रेडिट लिमिट(डी0सी0एल0) प्रणाली के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों पर दिनांक 01.04.2014 से सेन्टेज कार्यांश(लागत 100) का 6.875 प्रतिशत सेन्टेज/अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश विभाग सं0-बी-1-901/दस- 2011-231/2011, दिनांक 21.03.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित प्राप्ति लेखाशीर्षक- "1054-00-800-05-00-00" में ट्रान्सफर इंट्री डाटा क्रेडिट करके जमा की जायेगी।

(4) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(5) मूल्य ह्रास आरक्षित निधि की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/ आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। मूल्य ह्रास आरक्षित निधि की धनराशि शासनादेश सं0-3280 (1)23-9-05-25-20एसी/05, दिनांक 21.09.2005 एवं शासनादेश सं0-313/23-9-2013- 20एसी/04टीसी, दिनांक 14.03.13 में की गई व्यवस्था के अनुसार लेखाशीर्षक" 1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां- 04-टूल्स एवं प्लाण्ट की प्राप्तियां" में जमा करायी जायेगी।

(6) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा की परियोजना में जी0एस0टी0 की धनराशि समय-समय पर स्वीकृति/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार जमा की जायेगी।

(7) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2024 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2024 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

(8) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) राज्य सड़क निधि हेतु गठित उ0प्र0 राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रायोजन हेतु व्यय की गयी है। विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य की अव्यवहारिकता दर्शाते हुए स्वीकृति निरस्त न हो।

(10) प्रश्नगत कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय। प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।

(11) विभाग द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(12) प्रायोजनान्तर्गत यदि वन भूमि से संबंधित कार्य प्रस्तावित किया जाता है तो इस संबंध में आवश्यक वैधानिक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(13) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत कार्य से सम्बन्धित बचत (यदि हो तो) व कार्य पूर्णता इत्यादि की सूचना यथासमय शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबंधन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19.05.2023 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं शासनादेश सं0-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19 सितम्बर, 2023 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 5,24,39,000/- (रूपये पॉच करोड़ चौबीस लाख उन्तालीस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक 5054043375800** राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

-

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-75/2024/आई/508690(1)/23-1-24/001-23-1002(002)/47/2024पार्ट-2, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।